न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
अपील / डिक्री / टीए / 3307 / 2002 / हनुमानगढ

1–देवदत्त पुत्र मोहनलाल मृतक जरिये वारिसानः–
1 / 1– कालीचरण पुत्र देवदत्त
1 / 2–सतीश पुत्र देवदत्त
1 / 3–नीलम पुत्री देवदत्त
1 / 4–सुषमा पुत्री देवदत्त
2–रुकमणी बेवा गौरीशंकर
3–मणीदेवी पुत्री गौरीशंकर
4–रीटा पुत्री गौरीशंकर
5–सोहनलाल पुत्र गौरीशंकर
6– ओमप्रकाश पुत्र मोहनलाल
7–काशीराम पुत्र जयनारायण
8– पृथ्वीराज पुत्र जयरानायण
9–मनीराम पुत्र जयनारायण समस्त जाति ब्राहमण निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

बनाम

1–अमरी विधवा श्री रामचन्द्र(मृतक)
2–हनमान पुत्र रामचन्द्र
3–सूरजीत पुत्र ओमप्रकाश
4–मनजी पुत्रगण ओमप्रकाश
5–देवेन्द्र पुत्र लालचन्द समस्त जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिबी जिला हनुमानगढ
6– ग्रमोत्थान विद्यापीठ संगरिया जिला हनुमानगढ
7–राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, राजस्व टिब्बी

––असल रेस्पोडेंटस

8–लेखराम पुत्र नारायणराम (मृतक) जरिये विधिक वारिसानः–
8 / 1– गोपीराम पुत्र लेखराम
8 / 2– ओमप्रकाश पुत्र लेखराम
8 / 3–विमला पुत्री लेखराम
8 / 4–कमला पत्नि लेखराम
9– दौलतराम नारायणराम (मृतक) जरिये विधिक वारिसानः–
9 / 1– विनोद पुत्र दौलतराम
9 / 2–अमीचन्द पुत्र दौलतराम
9 / 3–राजोदेवी पुत्री दौलतराम
9 / 4–धापी पत्नि दौलतराम
9 / 4–सूरजाराम नारायणराम
10–बलराम पुत्र नारायणराम समस्त जाति जाट निवासी ग्राम सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

––तर. रेस्पोडेंटस

खण्ड पीठ

श्री मनोज कुमार ,नाग सदस्य

श्री धूकलराम कसवां, सदस्य

उपस्थितः–
श्री मनीष पाण्डया अधिवक्ता अपीलांट
श्री सुनील पारीक रेस्पो. रेस्पोडेंट सं.7
रेस्पोडेंट सं.1से 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है।

<u>अपील / डिकी / टीए / 3307 / 2002 / हनुमानगढ</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक : 17 –01–2019

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 25(1) राजस्थान जमीदारी विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 विरुद्ध निर्णय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ के निर्णय एवं दिनांक 14–6–2002 जो उनके द्वारा अपील संख्या 214 विरुद्ध निर्णय अपर जिला कलेक्टर (हनुमानगढ प्रकरण संख्या 494/94 में पारित किया गया है,के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के सक्षिप्त तथ्यों अनुसार तहसीलदार टिबी की इकजाई सूचना के आधार पर प्रकरण संख्या 494/94 डिप्टी कलेक्टर (जागीर एव विस्वेदारी) श्रीगंगानगर के समक्ष सन 1980 में प्रस्तुत किया गया जिसमें ग्राम सालीवाला के खसरा नम्बर 165 की 54 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्व. रामचन्द्र व लिछमण पिसरान हरिराम के नाम से बिस्वेदारी की भूमि थी, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। चूॅकि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में रामचन्द्र व लिछमण के नाम से बिस्वेदार के रुप में अंकित थी। रामचन्द्र व लिछमण की मृत्यु के बाद उसके वारिसान ने उक्त भूमि दिनांक 21–5–56 को रेस्पोडेंट संख्या 6 ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया को दान कर दी। कालांतर में यह प्रकरण न्यायालय अपरजिला कलेक्टर जागीर हनुमानगढ के यहॉ स्थानान्तरित हुआ। अधीनस्थ अपर जिला कलक्टर न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18–5–01 के द्वारा 27 बीघा 10 बिस्वा भूमि धारा 7 जमीदारी विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत रिज्यूम करने का निर्णय पारित किया गया जिसके विरुद्ध एक अपील संख्या 214/01 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष पेश की गयी।

3– अपील पेश होने पर विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14–6–2002 के द्वारा देवदत्त आदि अपीलार्थीगण की अपील पर आदेश पारित करते हुए अपीलार्थीगण के पक्ष में ड्रोप की गयी कार्यवाही को अपास्त करते हुए व देवदत्त आदि अपीलार्थीगण के साथ साथ वर्तमान अप्रार्थीगण की 27 बीघा भूमि को भी राज्य हित में अधिग्रहण करने के आदेश पारित कर दिये। अर्थात परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 18–5–2001 को 27 बीघा भूमि राज्य हित में अधिग्रहण के आदेश दिये थे उसे बढाते हुए 54 बीघा 10 बिस्वा भूमि अधिग्रहण के आदेश पारित कर दिये जिससे ग्रसित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की है।

4– अपील पर उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

5– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में वर्णित कथनो को दोहरा और मुख्य तर्क दिया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय क्षेत्राधिकार विहिन है क्योकि मूल कार्यवाही जो कि तहसीलदार के समक्ष 54 बीघा भूमि के विक्रय दिनांक 21–5–56 को आधार मानते हुए अधिनियम 1959 की धारा 7 के तहत की गयी थी वह क्षेत्राधिकार विहिन थी उनका आगे तर्क है कि अकृषि प्रयोजनार्थ किसी भूमि का हस्तान्तरण ही प्रतिबन्धित माना गया है जबकि प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 213 की 26 बीघा 15 बिस्वा ग्राम सालीवाला व रामपुरा बेचिराग के खसरा नम्बर 165 की 27 बीघा 15 बिस्वा कुल 54 बीघा 10 बिस्वा भूमि का पंजीबद्ध हिब्बा नामा दिनांक 21–5–56 को किया गया है जो स्पष्टतया

कृषि भूमि है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि यह हस्तान्तरण कृषि भूमि का है जिससे धारा 7 से किसी भी प्रकार से प्रभावित नही होती है। उनका यह भी तर्क है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–5–2001 मृतक व्यक्तियों के विरुद्ध होने से शून्य है क्योकि जब कार्यवाही संस्थित की गयी थी उस सयम रामचन्दं लिछमण ,रामकुमार व जयनारायण मृतक थे जिनके उत्तराधिकारियों को पक्षकार नही बनाया गया। जिससे परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मृतक व्यक्तियों के विरुद्ध होने से मूलतः शून्य है।

6– अभिभाषक अपीलांट का आगे यह भी कथन है कि जब यह तथ्य दोनो ही न्यायालयेां के समक्ष स्पष्ट हो गया कि अपीलार्थीगण विवादित भूमि के शर्त 1970 के तहत गैर दाखिलकार के रुप में आवंटी है फिर भी अधिनियम 1959 के तहत इस भूमि को अधिग्रहण करने का आदेश दिया है जबकि विधिक रुप से यह भमि उपनिवेशन अधिनियम के तहत आवंटित हो गयी एवं खातेदारी सनद मिल गई तो अधिनियम 1959 का कोई प्रावधान इस भूमि पर लागू नही होगा। ऐसी स्थिति में दोनो ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय गैर कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील स्वीकार की जाकर दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निरस्त किये जावे एवं अपीलांटस के विरुद्ध संस्ति कार्यवाही अन्तर्गत नियम 1959 समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपीलाधीन निर्णयों को विधि सम्मत व समवर्ती बताया और निवेदन किया विवादित आराजी रामचन्द्र लिक्ष्मण व हरीराम के नाम बतौर विस्वेदार रिकार्ड में अंकित थी तथा जमाबन्दी 1946–47 के अनुसार उक्त आराजी फरीद के नाम से गैरदाखिलकार कब्जा काश्त में थी। अतः यह भूमि विस्वेदारों के खुदकाश्त में नही थी। इसलिए विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा 54.10 बीघा भूमि को रिज्यूम करने के सम्बन्ध में जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी भी प्रकार से कोइ स्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अन्त में अपील खारिज करने का निवेदन किया गया।

6– हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की ओर से की गयी बहस परमनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का भली भॉति अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अपर जिला कलक्टर (जागीर) हनुमानगढ के समक्ष एक प्रकरण संख्या 494/94 अन्तर्गत धारा 7 राजस्थान जमीदारी विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1956दर्ज हुआ, उसमें अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये और प्रकरण में राजकीय अभिभाषक तथा अप्रार्थी संख्या 3 उपस्थित हुए जिन्हे सुन कर विद्वान अपर जिला कलक्टर ने अप्रार्थी संख्या 4 की हद तक भूमि जो कि 8 एमकेएस के प.नं.1931 220 कि0 नं0 1ता 25,1921 220 कि0 नं015, 1931 221 कि0 नं0 1 ता 8,1931 221 कि0 नं0 5 व 1921 220 कि0नं0 16, 25 कुल 27–10 बीघा भूमि राज्यहित में रिज्यूम करने का आदेश दिनांक 18–5–2001 को पारित किया गया, जिससे व्यथित होकर श्री देवदत्त आदि ने एक अपील संख्या 214/01 अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष प्रस्तुत की। विद्वान

अपीलीय न्यायालय ने दोंनो पक्षों को सुन कर अपील को खारिज करते हुए कुल 54.10 बीघा भूमि धारा –7 जमीदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भूमि राज्यहित में रिज्यूम करने के आदेश दिये है।

7– पत्रावली के अवलोकन से यह भी दृष्टिगोचर होता है कि विवादित खसरा नम्बर 165 की 54.10 बीघा के बिस्वेदार रामचन्द, लिक्ष्मण पिसरान हरीराम थे तथा इनके द्वारा दिनांक 21–5–56 को ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया के हक में दान पत्र निष्पादित किया गया था। अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त दानपत्र को सद्भावी माना है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी सन् 1946 में रामचन्द्र आदि बतौर बिस्वेदार एवं फरीद बल्द मोती गैरदाखिलकार का अंकन है जिससे स्पष्ट होता है कि जमीदारी बिस्वेदारी उन्मूलन कानून प्रारंभ होने के समय उक्त बिस्वेदार विवादित आराजी पर काबिज नही थे अर्थात भूमि उनकी खुदकाश्त में दर्ज नही थी। इसलिए इनका विवादित भूमि पर भौतिक कब्जा नही होने से धारा 29 के तहत इन बिस्वेदारों को खातेदार नही माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में जो निष्कर्ष दिया है, उचित व कानून सम्मत है।

8– जहॉ तक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवंटन आदेश दिनांक 27–1–71 का प्रश्न है उक्त भूमि दिनांक 21–5–56 को ही बिस्वेदारान ने धारा 7 की अवहेलना कर विवादित आराजी का अन्तरण कर दिया गया था तथा ऐसा कोई साक्ष्य अपीलांट ने पेश नही किया जिससे यह साबित हो कि अपीलांट जमीदारी बिस्वेदारी उन्मूलन,1956 लागू होने के समय गैरदाखिलकार काबिज थे। उक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि खसरा नंबर 165 की 54.10 बीघा भूमि बिस्वेदारो द्वारा भूमि स्वयम् की खुद काश्त की नही होते हुए दिनांक 21–5–56 ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया के पक्ष में रजि0 दानपत्र से दान कर दिया गया तथा रेस्पोडेंट संख्या 8से 12 द्वारा उक्त भूमि दिनांक 22–4–66 को ग्रामोत्थान विद्या पीठ से क्रय की गयी। परन्तु मूल बिस्वेदार द्वारा किया गया दानपत्र धारा 7 के प्रावधानों के विपरीत होने से यह खरीद प्रारम्भतः शून्य है।

9– विद्वान अभिभाषक अपीलांट की ओर से अपील में यह प्रश्न उठाया गया है कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा कार्यवाही मृतक व्यक्तियों के विरुद्ध संस्थित की गयी है क्योकि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–5–01 में अंकित रामचन्द्र, लिछमण, रामकुवार एवं जयनारायण मृतक थे।

10– जहॉ तक मृतक रामकुमार जयनारायण का प्रश्न है , ये प्रकरण संख्या 494/94 में अप्रार्थी संख्या 4 थे और इनकी ओर से इनके वकील प्रतिनिधित्व कर रहे थे और इनके वकील द्वारा प्रकरण में नो स्ट्क्शन प्लीड किया गया था। इनका यह दायित्व था कि वक्त बहस इनके वकील मृतक व्यक्तियों के सम्बन्ध में ध्यान दिलाते ,जो आक्षेप इन्होने यहॉ लिये उक्त आक्षेपों को इनके द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष ही उठाना चाहिए था। इस सम्बन्ध में इन्हाने वहॉ कोई एतराज नही उठाया और ना ही कोई मृत्यु प्रमाणपत्र ही प्रस्तुत किया है।

11– जहॉ तक मृतक रामचन्द्र व लिछमण का प्रश्न है इनके सम्बन्ध में भी फौतगी की रिपोर्ट न्यायालय में नही की गयी। चूकि अप्रार्थी संख्या एक ने अपनी समस्त आराजी अप्रार्थी संख्या दो को दान कर दी गयी थी और अप्रार्थी संख्या दो इस कार्यवाही में उपस्थित थे जिन्होने भूमि कय की है इस सम्बन्ध में उनके द्वारा भाग लिया गया है। अतः अपीलांट द्वारा मण्डल के समक्ष हो अपील के माध्यम से आक्षेप लिये गये है, वेबुनियाद है।

12– उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह स्थिति सामने आती है कि विद्वान दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के अपीलाधीन निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुरुप व विस्तृत विवेचन कर पारित किये है। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवती है, समवर्ती निर्णयों में हम हस्तगत अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही समझते है। परिणामस्वरुप हस्तगत अपील आधार हीन व सारहीनहोने से खारिज किये जाने योग्य है।

13– अतः हस्तगत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ एवं अपर जिला कलक्टर (जागीर) हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय कमश14–6–2002,18–5–2001 यथावत रखे जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य